भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

₹.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

NOTARIAL

NOTARIAL

CANCELLED

INDIA NON JUDICIAL

IDENTIFIED BY

UTTARAKHAND

10AA 140856

NOTARY
D. S. BISHT
Notary, Haldwani
Distt. Nainital
R. No. 23(10)/2006
UTTARAKHAND (INDIA)

(14)

D. S. BISHT
Notary. Haldwani
Distt. Nainital India
R. No. 23(10)/2006
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)
D.S.Bisht

सत्यापन

मैं. ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता / करती हूँ कि इस शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गई है।

..........Haldwani.......... स्थान पर आज तारीख..........6/1/2012.......... को सत्यापित किया।

भुवनचन्द्र जोशी
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्ररूप के वे स्तंम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिए जाएं।

Certified that Sri/Smt. ..Bhuwan Chandra Joshi
the deponent identified by ...Self
sworned & verified the contents
of the affidavit at ...Haldwani
on date 6-1-2012 Time ....9.5 A.m.

D.S.Bisht 6/1/2012
Diwan Singh Bisht
Advocate
Notary, Haldwani
Distt. Nainital UK India

(15)

D. S. BISHT
Notary, Haldwani
Distt. Nainital India
R. No. 23(10)/2006
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)
D.S.Bisht

प्ररूप 26

(नियम 4क देखिए)

......59- हल्द्वानी...... निर्वाचन क्षेत्र

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

......विधानसभा......(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ पत्र

मैं,......भुवन चन्द्र जोशी......पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री मोहन चन्द्र जोशी ......आयु......52......वर्ष, जो......हल्द्वानी......का / की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ / शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ / करती हूँ :-

1- मैं, ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी) :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं......X......

(ii) पुलिस थाना (थाने)......X......जिला (जिले)......X......राज्य......X......

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है......X......
......X......

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई......X......

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था / थे......X......

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है / हैं......X......

2- मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है / नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिये कारावास से दंडादिष्ट किया गया है / नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं......X......

(ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है......X......

(iii) पुलिस थाना (थाने)......X......जिला (जिले)......X......राज्य......X......

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है......X......

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था / सुनाए गए थे......X......

(vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है / रोके गए हैं......X......

स्थान : हल्द्वानी

तारीख : 6/1/2012

भुवन चन्द्र जोशी
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर